सबके लिए शिक्षा डेलर्स रिर्पोट और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020

(Education for all Delor's Report and National Education Policy – 2020)

डॉ. अनिल कुमार*

(सारांश)

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्व समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। साथ ही शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानो का विकास करना है। जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो जिसमे करुणा और सहानुभूति साहस लचीलापन वैज्ञानिक चिंतन और रचात्मक कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्यों का विकास हो जिसमे समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में वेहतर तरीके से योगदान करें। शिक्षा वह उचित माध्यम है। जिससे देश की समृद्व प्रतिभा का और संसाधनो का सर्वोतम विकास और संवर्धन, व्यक्ति समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिये किया जा सकता है।

कुंजी शब्द– समावेशी, बहुलतावादी, वैज्ञानिक चिंतन, समृद्ध प्रतिभा, राष्ट्रीय विकास।

सन् 1990 में थाईलैण्ड में सबके लिए शिक्षा (Education For All) विषय पर विश्व कान्फ्रेन्स का आयोजन किया गया। इस कान्फ्रेन्स में कुछ देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा की सुविधा सर्वसुलभ न होने पर चिन्ता व्यक्त की गयी और इसे विश्व समस्या के रुप में स्वीकार किया गया। कान्फ्रेन्स के अन्त में **सबके लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा** (World Declaration on Education for All) तैयार की गई जो इस प्रकार है–

''प्रत्येक व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होना चाहिए। इन आवश्यकताओं में मानव को जीवन जीने, अपनी पूरी क्षमताओं का विकास करने, सम्मान पूर्वक जीने व कार्य करने, विकास में पूर्ण सहभागी होने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, सामान्य निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक अनिवार्य उपकरण (जैसे–साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, अंक ज्ञान तथा समस्या–समाधान आदि) तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु (जैसे–ज्ञान, कौशल, मूल्य तथा दृष्टिकोण) समाहित है।''

"Every person shall be able to benefit from Educational Opportunities designed to meet learning needs. These needs comprise both essential learning tools (such as literacy, Oral expression, numeracy and problem-solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values and attitudes) required by human beings to be' able to serve, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the qualities of their lives, to make informal decisions and to continue learning" – **World Declaration Education for all - Thailand World Conference, 1990)**

इस कान्फ्रेन्स में यह निर्णय भी लिया गया कि सभी देश अपने बच्चों की आधारभूत सामान्य शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क रुप से व्यवस्था करेंगे और जो देश अपने संसाधनों से यह कार्य करने में असमर्थ होंगे उन्हें विकसित देश आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे और साथ ही विश्व बैंक से उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। परिणाम स्वरुप संसार के सभी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े देशों में आधारभूत सामान्य शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में भी सबके लिए शिक्षा अभियान शुरु किया गया। उस समय इसके मुख्य लक्ष्य थे–

(1) पूर्व बाल्यकाल परिचर्या तथा विकास क्रियाओं का प्रसार।

(2) प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण।

(3) निरक्षता में कमी।

(4) शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने का प्रावधान।

(5) नारी समानता के एक साधन के रुप में शिक्षा का उपयोग।

(6) शिक्षा की पाठ्यवस्तु एवं प्रक्रिया में सुधार।

विभागाध्यक्ष, शिक्षक-शिक्षा विभाग आर.एस.एम. (पी.जी.) कालेज धामपुर (बिजनौर)*

इस बीच एक तरफ हमने अपने संसाधनों में वृद्धि की और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में विकसित देशों एवं विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त की और सबके लिए शिक्षा को एक आन्दोलन के रुप में चलाया। तब से अब तक हमने आधारभूत सामान्य शिक्षा के प्रसार के लिए अनेक योजनाएँ चलाईं जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme, DPEP), सर्व शिक्षा अभियान (Sarv Shiksha Abhiyan, SSA) और शिक्षा गारन्टी योजना (Eucation Guarantee Scheme) मुख्य है। यह इन सब कार्यक्रमों का ही फल है कि देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद हमारी सरकार लगभग 85% बच्चों को आधारभूत सामान्य शिक्षा की सुविधा सुलभ करा सकी है। इस कार्य में जन सहयोग भी प्राप्त हुआ है। यह बात दूसरी है कि इन सब प्रयासों के बाद भी हम निरक्षरता उन्मूलन नहीं कर पाए है।

डेलर्स आयोग
(Delor's Commission)

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) ने 1993 में फ्रांस के डेलर्स (Jacques Delors) की अध्यक्षता में 21 वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय आयोग (International Commission on Education for Twenty First Century) की नियुक्ति की। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे जिनमें एक भारत के डॉ. कर्ण सिंह थे। इस आयोग का प्रतिवेदन **'सीखनाः आन्तरिक खजाना' (Learning : The Treasure Within)** के नाम से 1996 में प्रकाशित हुआ। इसमें डेलर्स ने अपने अध्यक्षीय लेख में सर्वप्रथम यह स्पष्ट किया है कि मानव के वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की अहम् भूमिका होती है। इसके बाद उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि हमने 20वीं शताब्दी में प्रगति तो बहुत की है परन्तु इसका लाभ सभी को नहीं मिला है, अतः 21वीं शताब्दी में शिक्षा की व्यवस्था कुछ इस प्रकार करनी होगी कि प्रगति का लाभ सभी को मिले और संसार से अज्ञानता, गरीबी, निर्दयता और युद्ध की भयंकरता कम हो। इसी के साथ उन्होंने यह तथ्य उजागर किया कि 21वीं शताब्दी में हर क्षेत्र में भूमण्डलीकरण (वैश्वीकरण, Globalization) होगा, जिससे राष्ट्रों की अन्तर्निभरता (Interdependence) बढ़ेगी। इससे जीवन के हर क्षेत्र में नई–नई समस्याएँ उपस्थित होंगी, उन्हें समझने एवं उनका समाधान करने के लिए जीवन भर सीखना होगा। जीवन भर सीखने का सम्प्रत्यय सतत् सीखने (Continuing Education) से थोड़ा भिन्न है। इसमें अपने कार्यक्षेत्र के अद्यतन ज्ञान एवं कौशल सीखने के साथ–साथ जीवन के वैयक्तिक, सामाजिक एवं अन्य किसी भी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना सीखना सम्मिलित है। आयोग की दृष्टि से 21वीं शताब्दी की शिक्षा के **चार आधार होंगे**–(1) **जानना सीखना** (Learning to Know), (ii) **करना सीखना** (Learning to Do), (iii) **बनना सीखना** (Learning to Be) और **एक साथ रहना सीखना** (Learning to Live Together)। आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय–4 में इन्हें शिक्षा के चार स्तम्भ (The Four Pillars of Education) के रुप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ शिक्षा के इन चारों आधारों अथवा स्तम्भों की व्याख्या संक्षेप में प्रस्तुत है।

जानना सीखना
(Learning to Know)

जानना सीखना, ज्ञान प्राप्त करने से कुछ भिन्न है। इसका सामान्य अर्थ ज्ञान प्रप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने की विधियों दोनों को सीखने, से है और इसका विशिष्ट अर्थ मानव के अस्तित्व को जानने और मानव के अस्तित्व की विधियों को जानने, दोनों से है। अब व्यक्तियों को पूरे संसार को समझना होगा, कम से कम इतना समझना होगा कि वे सम्मान के साथ जी सकें, अपने व्यावसायिक कौशलों को विकसित कर सकें और दूसरे व्यक्तियों के साथ संवाद कर सकें। साथ ही उन्हें अपने अन्दर ऐसे ज्ञान का विकास करना होगा जिससे वे आनन्द का अनुभव कर सकें। डेलर्स आयोग की दृष्टि से अब हमें जितना अधिक ज्ञान होगा, हम अपने पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को उतना ही अधिक समझ सकेंगे।

डेलर्स आयोग की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक क्रियाओं के परिणामस्वरुप तेजी से होने वाले परिवतनों को समझने एवं तद्नुकूल कार्य करने की योग्यता विकसित करने के लए 21वीं शताब्दी में यह आवश्यक होगा कि–

1. आधार शिक्षा (Basic Education) का विस्तार किया जाए। उसमें सामान्य ज्ञान (General Knowledge) और अपनी मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य की जाए। सामान्य ज्ञान से बच्चों को संसार की सामान्य जानकारी प्राप्त होगी और दूसरी भाषाओं के सीखने से उनमें दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता उत्पन्न होगी। साथ

ही बच्चों को प्रारम्भ से ही सीखने की विधियों में प्रशिक्षित किया जाए। आयोग की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में मुख्य रुप से बच्चों को ध्यान एकाग्र करने (Concentration), सीखे हुये ज्ञान को स्मरण करने (Memorise) और चिन्तन करने (Thinking) में प्रशिक्षित करना चाहिए, और यह कार्य शिशु काल से ही शुरु कर देना चाहिए। आयोग की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करने की ये विधियाँ ऐसी है जिनके द्वारा जीवनभर सीखा जा सकता है।

2. आधार शिक्षा के बाद विशिष्ट शिक्षा (Specific Education) की व्यवस्था की जाए। आयोग की सम्मति में माध्यमिक एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों का निर्माण वैज्ञानिक अनुशासनों के आधार पर किया जाना चाहिए और इन स्तरों पर कुछ विषयों का विशिष्ट एवं स्पष्ट ज्ञान कराना चाहिए। आयोग का विश्वास है कि इससे व्यक्तियों में जीवन भर शिक्षा (Life Long Education) की इच्छा पैदा होगी। साथ ही इस स्तर पर अध्येयताओं को सीखने की चिन्तन प्रधान विधियों में प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें समस्या–समाधान में निपुण किया जाए, और आगमन–निगमन चिन्तन में निपुण किया जाए। ये वे विधियाँ है जिनसे वे जीवन भर सीख सकेंगे।

करना सीखना

(Learning to Do)

डेलर्स कमीशन में करना सीखने को किसी व्यवसाय (Job) को करना सीखने के साथ–साथ एक ऐसी दक्षता (Competence) सीखने के रुप में लिया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने क्षेत्र में उपस्थित होने वाली नई–नई परिस्थितियों को समझ सकें, उनका सामना कर सकें और तद्नुकूल अपने व्यवसाय करने की विधि एवं शैली में परिवर्तन एवं परिमार्जन कर सकें। इस सम्बन्ध में डेलर्स रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि वर्तमान में संसार में भिन्न–भिन्न प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएँ चल रही है। इनमें दो व्यवस्थाएँ मुख्य है। एक वह जिसमें अधिकतर व्यक्ति वेतन एवं रोजनदारी भोगी है। यह व्यवस्था औद्योगिक समाजों में चल रही है। दूसरी वह जिसमें व्यक्ति अपना व्यवसाय स्वयं स्थापित करते है। डेलर्स आयोग के अनुसार पहले प्रकार के औद्योगिक समाजों में ज्ञान के साथ–साथ कौशल प्रशिक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं अपितु इस प्रकार के समाजों में व्यावसायिक कौशलों के साथ–साथ **सामाजिक कौशलों** (Social Skills) एवं **संवाद कौशलों** (Communication Skills) को भी सीखना होता है। साथ ही व्यक्तियों में कॉमन सेन्स, निर्णय शक्ति और नेतृत्व क्षमता का विकास करना होता है। आयोग ने स्पष्ट किया कि 21वीं शताब्दी में संसार के अधिकतर देशों में औद्योगिक व्यवस्था होगी अतः आवश्यक है कि बच्चों को प्रारम्भ से ही इन सब कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि–

1. 21वीं शताब्दी में औपचारिक शिक्षा के साथ **कार्यानुभव** (Work Experience) और **समाज सेवा कार्यों** (Social Service Works) की व्यवस्था अनिवार्य रुप से की जाए।
2. व्यक्तियों को जीवनभर सीखने के अवसर दिए जाएँ। जीवनभर सीखने के लिए समाजों को **सीखने वाले समाजों** (Learning Societies) में बदला जाए। सीखने वाले समाजों से आयोग का तात्पर्य ऐसे समाजों से है जिनमें औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी ज्ञान एवं कौशल सीखने के विभिन्न अवसर प्राप्त होते है। इन क्षेत्रों की वास्तविक क्रियाओं में भाग लेने से व्यक्तियों में कॉमन सेन्स विकसित होगी, उनकी निर्णय शक्ति विकसित होगी और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें दूरदृष्टि एवं अन्तर्दृष्टि का विकास होगा।

बनना सीखना

(Learning to Be)

1972 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा 'एगर–फोरा' रिपोर्ट– **भविष्य के लिए शिक्षा** (Edgar Faura Report : Learning to Be) प्रकाशित की गयी थी। इस रिपोर्ट की भूमिका में संसार में हो रहे अमानवीकरण पर भारी चिन्ता व्यक्त की गई थी और ऐसी परिस्थितियों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल दिया गया था जो मनुष्यों को इस योग्य बनाए कि वे अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकें, स्वयं निर्णय ले सके और अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह स्वयं कर सकें। डेलर्स कमीशन की दृष्टि से एगर फोरा रिपोर्ट की सिफारिशें 21वीं शताब्दी की शिक्षा के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी तब थीं क्योंकि 21वीं शताब्दी में भी प्रत्येक व्यक्ति को कुछ बनने और सदैव आगे बढ़ने एवं ऊँचा उठने के लिए स्वतन्त्र निर्णय लेने होंगे और अपने उत्तरदायित्व (Personal Responsibility) को समझना होगा और उसका निर्वाह करना होगा। डेलर्स कमीशन की दृष्टि से 21वीं शताब्दी में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिससे–

1. बच्चों एवं व्यक्तियों की **जन्मजात अभिक्षमता** (Aptitude) और **छिपी प्रतिभाओं** (Latent Talents) को उजागर किया जा सके।
2. बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण रुप से विकास किया जा सके।
3. बच्चों की **शारीरिक क्षमता (Physical Abilities)** एवं **मानसिक योग्यताओं (Mental Abilities)–स्मृति (Memory), तर्कना शक्ति (Reasoning) और कल्पना (Imagination)** का विकास किया जा सके।
4. बच्चों में **सामाजिक कौशल (Social Skills)** एवं **सौन्दर्य बोध (Aesthetic Sence)**, मुख्य रुप से दूसरों के साथ **संवाद करने की क्षमता (Communication Skill)** और **नेतृत्व शक्ति (Leadership)** का विकास किया जा सके।

आयोग की दृष्टि से 21वीं शताब्दी में ऐसे ही व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे।

एक साथ रहना सीखना
(Learning to Live Together)

डेलर्स आयोग की दृष्टि से 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की अन्तर्निर्भरता और बढ़ेगी अतः शिक्षा द्वारा लोगों को एक साथ रहने के लिए तैयार करना होगा। एक साथ रहने से तात्पर्य संसार के समस्त व्यक्तियों के एक साथ रहने से है, एक–दूसरे का सहयोग करने से है और शान्ति के साथ रहने से है। आयोग की दृष्टि से इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है–व्यक्तियों में एक–दूसरे को समझने की शक्ति का विकास करना। जब तक व्यक्ति एक–दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक वे एक–दूसरे के साथ रहना पसन्द नहीं करेंगे। दूसरी आवश्यकता है–व्यक्तियों को तेजी से होते हुए विकास की दृष्टि से अन्तर्निर्भरता के महत्व को स्पष्ट करने की। वर्तमान में हमारी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गई है कि हम परिवार, समाज और राष्ट्र में ही अन्तनिर्भर नहीं है अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर भी अन्तनिर्भर है। आयोग की दृष्टि से–

1. शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रारम्भ से ही एक–दूसरे को समझने में प्रशिक्षित किया जाए।
2. बच्चों को प्रारम्भ से ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति एक–दूसरे के सहयोग द्वारा करने पर बल दिया जाए, तब वे अन्तर्निर्भरता के महत्व को समझ सकेंगे।
3. आयोग ने स्पष्ट किया कि जब लोग एक–दूसरे के निकट आएँगे तो कुछ मसलों पर उनमें द्वन्द (Conflict) भी पैदा होंगे। अतः शिक्षा द्वारा बच्चों को प्रारम्भ से ही द्वन्दों (Conflicits) को कम करने में प्रशिक्षित करना होगा और उन्हे इन द्वन्दों को मानवीय मूल्यों के आधार पर दूर करने में प्रशिक्षित करना होगा।
4. आयोग ने स्पष्ट किया कि अब संसार के सभी राष्ट्रों को आपसी मतभेद भुलाने होंगे, युद्ध के स्थान पर शान्ति के बीज बोने होंगे और सभी को मिलजुलकर एक दूसरे की समस्याओं को हल करना होगा। अतः आवश्यक है कि प्रारम्भ से ही बच्चों को एक साथ रहने में प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें संघर्ष के स्थान पर शान्ति का पाठ पढ़ाया जाए।

निष्कर्षः

यूनेस्को द्वारा नियुक्त डेलर्स कमीशन के प्रतिवेदन, 1996 में 21वीं शताब्दी की शिक्षा को चार आधारों पर आधारित करने पर बल दिया गया है– **जानना सीखना, करना सीखना, बनना सीखना** और एक साथ रहना सीखने के लिए शिक्षा। यदि ध्यानपूर्वक देखा–समझा जाए तो किसी भी देश की शिक्षा द्वारा ये सब कार्य पहले से ही किए जाते रहे है; डेलर्स कमीशन के प्रतिवेदन में इनका विस्तार भर किया गया है और इन्हें कुछ नए तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश और भूमण्डलीकरण (वैश्वीकरण, Globalization) में शिक्षा को इन कार्यो का सम्पादन विशेष रुप में करना होगा।

संदर्भ–

1. पाण्डेय, राम शक्ल (2012); *उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक,* आगराः अग्रवाल प्रकाशन
2. पचौरी, गिरीश(2014); *समकालीन भारत और शिक्षा* मेरठः आर लाल बुक डिपो
3. माथुर बी.एस.(2005); *शिक्षा और उसका भविष्य,* नई दिल्लीः आर्य बुक डिपो
4. Faure,Edgar(1972);*Learning to Be: the world of Education today and tommarow*: Unesco Publishing
5. International Commission on the development of Education (1972)
6. https://en.unesco.org.
7. www.ncert.ac.in.
8. www.education.gov.in.
9. www.google.com
10. NEP-1986

11. NEP-2020